

अनुमति की शर्तें ।

- (a) जल भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामिनि सिद्ध नहीं करती है ।
- (b) भिन्नी की प्रकार का विचार (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम भिन्नी शर्तपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (c) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (d) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खेड़की कैपल आवासीय सूचीजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

दिनांक 10/03/2021

श्री दीप सिंह 310 श्री अमर सिंह

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2000

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 9082/- जमा

करिये रसीद संख्या 9069/9313/5114

दिनांक 10/03/2021 को जमा करा दी है ।

र-20: 62-बी बलदेव नगर

जी-1
आवासीय

12/03/2021

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

दक्षिण

Received
12/3/2021
Rajasthan
99147005044